

प्रेषक

दिनेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शाराना।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 28 मई, 2013

विषय:- पेयजल की समस्या के त्वरित निदान हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक विधान सभा के मा0 सदस्यों की संस्तुति पर 100-100 इण्डिया मार्क-1। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक मा0 विधान सभा सदस्य के क्षेत्र में उनकी संस्तुति पर 100 (नये / रिबोर) इण्डिया मार्क-1। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया है।

2. उपर्युक्तानुसार नये इण्डिया मार्क-1। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन 150 की आबादी तथा 02 हैण्डपम्पों के मध्य न्यूनतम 75 मीटर की दूरी के निर्धारित मानक को ध्यान में रखते हुए कराये जायेंगे। मा0 विधान सभा सदस्यों की संस्तुति पर 100 (नये/रिबोर) इण्डिया मार्क-1। हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शी व्यवस्था निम्नवत होगी:-

- (I) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में हैण्डपम्पों की रिबोरिंग अथवा नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध करायी गयी सूची का परीक्षण निर्धारित मानकानुसार करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त हैण्डपम्पों की रिबोरिंग अथवा नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जायेगा।
- (II) 100 इण्डिया मार्क-1। हैण्डपम्पों में रिबोर एवं नये हैण्डपम्प सम्मिलित है तथा क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार हैण्डपम्पों की रिबोरिंग अथवा नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन मा0 विधान सभा सदस्यों की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के दिशा-निर्देशानुसार कराये जायेंगे।
- (III) इण्डिया मार्क-1। हैण्डपम्पों के रिबोरिंग / नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य जनपदवार उत्तर प्रदेश जल निगम एवं यू0पी0 स्टेट एग्री इण्डरट्रियल कार्पो0 लि0 के मध्य 90:10 के अनुपात में शासनादेश संख्या-7481/38-5-2001-653/95, दिनांक 16 अक्टूबर, 2001 के अनुसार कराया जायेगा। तदनुसार उसी सीमा तक बजट एवं स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

भवदीय,

Diresh
(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या 1045(1)/अहलीस-5-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रियल कार्पो० लि० लखनऊ।
9. निदेशक, एन०आई०सी, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत पत्र ई-मेल के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।
10. सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Ramesh
(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।